पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 145/2025

बान :

शिवराज सिह पुत्र गुरचरण सिह जाति जटसिख निवासी पीरकामडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। वादी

बनाम

1.अजायब सिह पुत्र गुरचरण सिह जाति जटसिख निवासी पीरकामडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2.इकबाल सिह पुत्र गुरचरण सिह जाति जटसिख निवासी पीरकामडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थितिः—1 अधिवक्ता श्री सुभाषचन्द्र गर्ग :—वादी

2 अधिवक्ता श्री करनैलसिह :—प्रतिवादीगण

डिक्री दिनांक 13/6/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग व करनैलसिह अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोश डिक्री किया जाकर घोशणा की जाती है कि प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज चक नं0 22 एनजीसी के खाता सं0 3/4 में अंकित कुल 4.048 है0 में से प्रतिवादीगण प्रत्येक के 2699/8096 हिस्सा की आराजी व चकनं0 23 एनजीसी के खाता सं0 4/3 में प0न0 185/261 मु0 9 किलानं0 17,24 कुल 0.506 है0 आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 22 एनजीसी के खाता सं0 3/4 में से हम प्रतिवादीगण का नाम कलमजन व चकनं0 23 एनजीसी के खाता सं0 4/3 मे से प्रतिवादी अजायब सिह का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृशि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/6/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर

टिब्बी